कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 1030 दिनांक:– 18/9/15

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– मेसर्स हर्षबर्द्धन पाण्डेय द्वारा कोडरमा वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा डोमचांच एवं लंगरापरास में पत्थर खनन् हेतु कुल 1.21 हे0 वन भूमि अपयोजन का नवीकरण प्रस्ताव।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 1934 दिनांक 17.08.15.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना हेतु कुल 1.21 हे0 वन भूमि अपोजन हेतु नवीकरण का प्रस्ताव Online तथा Hard copy छः प्रतियों में इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की पूर्ण जाँच के क्रम में निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है।

1. प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत् उपायुक्त कोडरमा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ 1.21 हे0 अपयोजन होने वाली वनभूमि के समतुल्य 1.21 हे0 चयनित गैर वनभूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का योजना, प्राक्कलन, मैप संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं नक्शों पर प्रयोक्ता अभिकरण एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है।
4. जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा प्रयोक्ता अभिकरणके पक्ष में कितने वर्षों के लिए लीज स्वीकृत है। कृप्या स्पष्ट किया जाय।
5. क्या इस परियोजना हेतु पूर्व में प्राप्त अन्तिम स्वीकृति में लगाई गई सभी शर्तों तथा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र का अनुपालन कर दिया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वृक्षों की गोलाईवार गणना सूचि संलग्न नहीं है। Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा वनस्पति घनत्व 0.3 दर्शाया गया है।
7. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि की विस्तृत विवरणी संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव के साथ खनन् क्षेत्र के आस–पास के ग्रामिणों का आम–सभा/ग्राम–सभा की सहमति की प्रति संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA मद में राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
10. प्रस्ताव के साथ वन्य प्राणियों पर पड़ने वाली प्रभाव के संबंध में आपका मंतव्य संलग्न नहीं है।

उपरोक्त कमियाँ/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः आपके द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव की सभी छः प्रतियाँ वापस करते हुए अनुरोध है कि पत्र में इंगित कमियों/त्रुटियों के निराकरण के उपरान्त ही प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रसारित किया जाए। साथ ही इस तरह के आधूरे प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रसारित नहीं किये जाए। इससे पहले भी इस संबंध में आपको निदेशित किया जा चुका है।

अनु0 यथोक्त।

प्रस्ताव की छः प्रतियों के साथ

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1030 दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा / मेसर्स हर्षवर्द्धन पाण्डेय, डोमचांच, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।